/213767/2024

AHS/82/2023-XV-1-Animal Husbandry Department

संख्याः 213767 / XV-1/24/1(11)2022/60138

प्रेषक,

महावीर सिंह परमार,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 4 जून, 2024

विषयः राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल के राजकीय चिकित्सालय, कालाढूंगी के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–595/नि0–5/एक(16)/भ0नि0 रा0सै0/2024–25 दिनांक 14 मई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत राजकीय पशु चिकित्सालय, कालाढूंगी का भवन निर्माण एवं विकासखण्ड डोईवाला के क्षेत्रान्तर्गत बडे पशुओं हेतु स्टेट ऑफ आर्ट पशुचिकित्सालय के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्यय में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य हेतु बजट प्रावधान रू० 400.00 लाख में से **जनपद नैनीताल के राजकीय चिकित्सालय, कालाढूंगी के भवन निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्त के रूप** में **रू० 40.00 लाख (रू० चालीस लाख मात्र)** की स्वीकृति निम्नवर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम०ओ०यू० में निहित शर्तों के अनुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
2. उक्त अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एंव प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2017 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006)/दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में शासन की पूर्वानुमति के बिना अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
6. कार्य हेतु अनुमोदित आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के

7/2024

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
9. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. कार्य की प्रगति निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 से दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता /दुरूपयोग/ दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष, संबंधित आहरण वितरण अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–101–पशु चिकित्सा संबंधी सेवायें तथा स्वास्थ्य–09–पशुपालन विभाग में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य के 53–वृहद् निर्माण के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/9(150)–2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Mahaveer Singh Parmaar
Date: 27-05-2024 16:34:22
(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव

213767
संख्याः (1)/XV-1/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. - अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।
3- परियोजना प्रबन्धक, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड–नैनीताल।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनु0–04 /नियोजन अनुभाग।
5- गार्ड फाइल।

महावीर सिंह परमार
उप सचिव